प्रेस नोट- जनपद बिजनौर **दिनांक 03.03.2025**

जनपद के पुलिस मुख्यालय सहित समस्त थानो व कार्यालयो/शाखाओं मे ई-ऑफिस प्रणाली लागू किये जाने के संबंध में।

जनपद पुलिस प्रशासन द्वारा डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अब समस्त पुलिस कार्यालयों, थाना कार्यालयों व शाखाओं में *ई-ऑफिस* प्रणाली को लागू किया गया है। यह कदम प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, तत्परता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। ई-ऑफिस प्रणाली के तहत सभी प्रकार के प्रशासनिक दस्तावेजों, रिपोर्टों और अभिलेखों का लेन-देन डिजिटल रूप में होगा, जिससे कागजी कार्यवाही में कमी आएगी और समय की बचत होगी। इससे पुलिस कर्मचारियों को कार्यों में गति प्राप्त होगी और कार्यों में सुधार आएगा। यह कदम समस्त पुलिस कर्मियों के कार्यों को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए लिया गया है। इसके अलावा, यह डिजिटल पहल जनपद के नागरिकों के लिए बेहतर सेवा सुनिश्चित करने में भी सहायक सिद्ध होगी।

पुलिस प्रशासन का उद्देश्य है कि यह परिवर्तन पुलिस कार्यप्रणाली को अधिक तेज, सटीक और नागरिकों के लिए जवाबदेह बनाए। पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा सभी अधिकारियों / कर्मचारियो को निर्देशित किया गया है कि सभी ई-ऑफिस प्रणाली का पूर्ण रूप से पालन करे और इसे सुचारू रूप से संचालित करे।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नूरपुर **दिनांक 03.03.2025**

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 57/25 धारा 109(1)/115(2)/118(1)/352 बीएनएस व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 11.02.2025 को वादी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अंकुल गुर्जर निवासी ग्राम मुराहट थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर, 2.सुमित गुर्जर 3.जागेश शर्मा निवासीगण ग्राम मण्डौरा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 4.शकील कुरैशी पुत्र अतीक अहमद निवासी मौहल्ला मौहम्मदनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के साथ पुरानी रंजिश को लेकर जातिसूचक शब्द कहते हुए गाली गलौच की गई तथा सरिया आदि से मारपीट की गई । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 57/25 धारा 109(1)/115(2)/118(1)/352 बीएनएस व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाहीः-

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शकील कुरैशी पुत्र अतीक अहमद निवासी मौहल्ला मौहम्मदनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शकील कुरैशी पुत्र अतीक अहमद निवासी मौहल्ला मौहम्मदनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. हे0का0 498 मनोज कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
3. का0 1287 नीरज पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नजीबाबाद **दिनांक 03.03.2025**

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 65/25 धारा 2(b)(i)/3(1) गैंगस्टर एक्ट मे वांछित 02 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 02.03.2025 को थाना प्रभारी नजीबाबाद द्वारा गैंगलीडर 1.फरमान पुत्र अकबर निवासी मौ0 कुरैशियान कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर व गैंग सदस्यगण 2.शकील पुत्र छोटे व 3.नसीम पुत्र महमूद निवासीगण मौ0 सानियान कस्बा साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा भौतिक/आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रतिबन्धित पशुओं का कटान करने के दौरान पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न करने के संबंध मे थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 65/25 धारा 2(b)(i)/3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया।

कार्यवाहीः-

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्तगण शकील व नसीम उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.शकील पुत्र छोटे निवासी मौ0 सानियान कस्बा साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2.नसीम पुत्र महमूद निवासी मौ0 सानियान कस्बा साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

अभियुक्त शकील व नसीम का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 430/2024 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 3/5/8 गौवध अधि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0स0-65/2025 धारा 2(b)(1)/3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 श्री इलम सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 403 अनिल कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
3. का0 787 मन्नू राणा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
4. का0 1161 सुनील कसाना थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।